बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 184369 पटना, दिनांक 30/04/2014

ग्रा.वि.-8(थ0)-128/2011

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह,
आयक्त, मनरेगा ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषयः- **महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत निधि प्रबंधन हेतु दिशा-निर्देश के संबंध में ।**

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक 156747 दिनांक 22.07.2013 एवं पत्रांक 180198 दिनांक 11.03.2014(प्रति संलग्न) ।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों के द्वारा मनरेगा अन्तर्गत निधि प्रबंधन के संबंध में कतिपय निर्देश दिए गए हैं उनका कृपया संदर्भ लिया जाय । राज्य निधि में पर्याप्त राशि की अनुपलब्धता के कारण छोटे पंचायत को 3 लाख तथा बड़े पंचायत को 5 लाख रूपये की राशि अंतरित करने हेतु निदेश दिये गये थे । वर्तमान में राज्य निधि में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है तथा मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2013-14 का MIS पर बकाया भुगतान 500.00 करोड़ रूपये से अधिक प्रदर्शित हो रहा है, किन्तु जिलों द्वारा CPSMS के माध्यम से राशि की अत्यधिक कम अधियाचना की जा रही है । यह अपेक्षित है कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशि प्राप्त करके लंबित दायित्व का सामयिक भुगतान सुनिश्चित किया जाय ।

अतः समीक्षोपरान्त इस क्रम निर्णय लिया गया है कि अब से :-

I. पंचायत की निधि 1 लाख रूपये से कम होने की स्थिति में छोटे पंचायत को 6 लाख तथा बड़े पंचायत को 10 लाख रूपये की राशि निधि प्रबंधक द्वारा, हर मामले में, जिला कार्यक्रम समन्वयक का अनुमोदन प्राप्त कर राशि अंतरित किया जाएगा । लंबित दायित्व अधिक होने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक का अनुमोदन प्राप्त कर इससे अधिक राशि भी अंतरित किया जा सकता है ।
II. पंचायत समिति के मामले में पंचायत समिति की निधि 1 लाख रूपये से कम होने की स्थिति में 10 लाख रूपये की राशि निधि प्रबंधक द्वारा, हर मामले में, जिला कार्यक्रम समन्वयक का अनुमोदन प्राप्त कर राशि अंतरित किया जाएगा ।
III. सेन्ट्रल बैंक को भेजे जाने वाले एडवाइस में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि एडवाइस के सभी मामलो में जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक का अनुमोदन प्राप्त है ।

RK

IV. पंचायत में राशि एक लाख से कम है इसे CPSMS तथा MIS से अवश्य संपुष्ट कर लिया जाय । यह सजगता की महत्वपूर्ण व्यवस्था है । इस व्यवस्था का उद्देश्य निधि प्रवाह को रोकना नही है । CPSMS के अद्यतन होने में विलंब, MIS का तकनीकी कारणो से अद्यतिकरण नही हो पाना आदि के कारण यदि निधि प्रवाह बाधित होता है तो जिला कार्यक्रम समन्वयक का दायित्व है कि पंचायत में राशि की उपलब्धता की स्थिति से संतुष्ट होकर कंडिका । एवं ॥ में निहित प्रावधानानुसार निधि उपलब्ध करायें ।

विश्वासभाजन

(मिहिर कुमार सिंह)
आयुक्त, मनरेगा ।